(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग /3010/PBR/15

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–रायसेन

1– ओमकार सिंह पुत्र श्री रतिराम
2– गोपाल सिंह पुत्र श्री रतिराम
3– नरेन्द्र पुत्र श्री मंगल सिंह
निवासीगण – ग्राम सॅकाल तहसील गैरतगंज जिला रायसेन (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

रूपसिंह पुत्र श्री वीरभान सिंह
निवासी – सॅकाल कृषक ग्राम गुलाब गंज जमुनिया तहसील गैरतगंज जिला रायसेन (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री ... को द्वारा आज दि. 7-9-15 प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय तहसीलदार गैरतगंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–70/ 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

(1)

ओंकारसिंह आदि x रूपसिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3010—पीबीआर/2015 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.1.17	उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 14—08—2015 को देखने से परिलक्षित होता है कि आवेदकगण की ओर से राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत कर दिये जाने के आधार पर तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही पर स्थगन मॉगा गया था, जिसे तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन दिये जाने के पश्चात् ही उनके न्यायालय की कार्यवाही रोकी जा सकती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार को प्रकरण का अभी अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, ऐसी स्थिति में भी इस न्यायालय में निगरानी को प्रचलित रखने का कोई औचित्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में निगरानी निरस्त की जाती है । (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	